


## Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर कपारान		मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर	
प्यारा	बनाग	शंकरलाल	
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0		नं0 66	रान् 2023
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26.06.2023	<p>वकील प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0 का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 256 के हाल आराजी संख्या 937, 943 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्ट0, खाता संख्या 100 के हाल आराजी संख्या 339, 341, 342, 343, 344, 345, 716, 885, 928, 930, 931, 932, 935, 936, 998 कुल किता 15 कुल रकबा 6.19 हैक्ट0 में प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रार्थी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 256 के हाल आराजी संख्या 937, 943 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्ट0, खाता संख्या 100 के हाल आराजी संख्या 339, 341, 342, 343, 344, 345, 716, 885, 928, 930, 931, 932, 935, 936, 998 कुल किता 15 कुल रकबा 6.19 हैक्ट0 की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।</p>		 <p>सत्यमेव जयते</p> <p>Copy - Not Official</p>



(अर्चना बुगालिया)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपाध्यक्ष अधिकारी, कपासन